न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी – मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2024/115

टीना मीणा पुत्री स्व. रामेश्वर मीना निवासी मीना मोहल्ला, जोरावरपुरा जिला कोटा राज0।
– अपीलांट

बनाम

1. सत्यनारायण पुत्र गोपाल जाति मीना
2. मदन मुरारी पुत्र गोपाल जाति मीना
3. गोपाल पुत्र भूरया जाति मीना
   निवासीगण जोरावरपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पीपल्दा कार्यालय तहसील पीपल्दा जिला कोटा

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस–1. श्री प्रद्युम्न शर्मा, अभिभाषक अपीलांट की ओर से ।
2. श्री मुकेश शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।
3. श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत, अभिभाषक, रेस्पो. संख्या 2, 3 की ओर से।

निर्णय दिनांक 10.10.2024

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलेक्टर(फास्ट्रेक) इटावा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 21/2023 मे पारित निर्णय व डिकी दिनांक 08.08.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर कथन किया कि वाद विषयक कृषि आराजी ग्राम जोरावरपुरा पटवार सर्कल जोरावरपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० के राजस्व रिकार्ड मे खतौनी संख्या 26 ख. न. 25 रकबा 1.68 है०, ख. न. 54 रकबा 3.29 है०, ख. न. 138 रकबा 2.14 है०, ख. न. 245 रकबा 0.96 है०, ख. न. 351 रकबा 1.25 है०, ख. न. 156/420 रकबा 0.07 है०, कुल किता 6 कुल रकबा 9.39 है० कृषि आराजी प्रतिवादी कम 1 के राजस्व रिकार्ड में स्थित है। उक्त कृषि आराजी को वादग्रस्त आराजी के नाम से आगे वाद पत्र एंव वाद प्रार्थना मे सम्बोधित किया गया है। वादीगण प्रतिवादी कम 1 के पुत्र है, उक्त वर्णित कृषि आराजी पुश्तैनी कृषि भूमि है जो कि प्रतिवादी कम 1 को विरासतन प्राप्त हुई है, उक्त कृषि भूमियाँ सयुंक्त हिन्दू परिवार की

अपील संख्या 2024/115
टीना मीणा बनाम सत्यनारायण वगै0

अविभाजित सहदायिकी कृषि भूमियों है, जिन पर वादीगण का जन्मतः हिताधिकार निहित है। वादीगण एंव प्रतिवादी कम 1 का पारिवारिक सजरा प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार भूरया के एक पुत्र गोपाल प्रतिवादी संख्या 1 है तथा गोपाल के तीन पुत्र रामेश्वर(मृतक), सत्यनारायण, व मदनमुरारी है। वादीगणो को अपने पारिवारिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति हेतु प्रतिवादी कम 1 द्वारा वादी कम 1 को वादग्रस्त कृषि आराजी मे से हिस्सा 1/3, वादी कम 2 को हिस्सा 1/3 बाहमी तौर पर दिया हुआ है। किन्तु उक्त कृषि भूमियो पर बतौर खातेदार अंकित नही हो पाने से वादीगणो को उक्त कृषि आराजी पर अपने हिस्से के भू–सुधार एंव काश्त सम्बन्धी कार्यों मे परेशानियाँ उत्पन्न हों रही है। उक्त कृषि भूमियो मे अपने सहदायिक हिस्से की घोषणा करवाने हेतु तदर्थ यह वाद माननीय न्यायालय की सेवा मे प्रस्तुत है। वादीगणो द्वारा प्रतिवादी कम 1 को तत्सम्बन्धी निवेदन करने पर उनके द्वारा तहसील कार्यालय मे उपस्थित होकर बंटवारा करने बाबत आश्वासन दिया जाता रहा है, किन्तु आज दिनांक तक भी तहसील कार्यालय में उपस्थित होकर सन्दर्भित कार्यवाही नही करने वश वादीगणो को माननीय न्यायालय की सेवा मे वाद पत्र प्रस्तुत करने हेतु विवश होना पडा है। वादीगणो द्वारा तत्सम्बन्धी निवेदन प्रतिवादी कम 2 तहसीलदार महोदय से भी कई मर्तबा किया गया है, किन्तु उनके द्वारा असमर्थता जाहिर करके एंव अन्तिम बार विगत दिनांक 27.12.2022 को वांछित सहायता हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करने पर वादीगणो को वाद पत्र प्रस्तुत करना लाजमी हो गया है। प्रस्तुत वाद पत्र मे राज्य शासन के प्रतिनिधि तहसीलदार महोदय पीपल्दा को आवश्यक पक्षकार प्रतिवादी कम 2 के रूप मे संयोजित किया जा रहा है। जिनके विरूद्ध वाद पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व यद्यपि दो माह का मियादी सूचना नोटिस प्रेषित किया जाना अनिवार्य है। किन्तु प्रश्नगत वाद पत्र मे राज्य शासन के सामान्य हितो के विपरीत कोई प्रभावी सहायता नही चाही होने के कारण एंव वाद पत्र की परिस्थितियो को दृष्टिगत रखा जाकर वाद पत्र नोटिस के अभाव मे ही प्रस्तुत किया जा रहा है। नोटिस मुक्ति हेतु धारा 80 (2) सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत है। वादपत्र प्रस्तुत करने हेतु वादीगणो को वाद कारण विगत दिनांक 27.12.2022 को प्रतिवादी कम 1 द्वारा वांछित सहायता उपलब्ध करवाने हेतु तहसील कार्यालय में उपस्थित होने से साफ इन्कार कर देने एंव प्रतिवादी कम 2 द्वारा विगत दिनांक 15.01.2023 को राज्य शासन के प्रतिनिधि द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करने पर वादीगणो को वाद कारण लगातार उत्पन्न है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर विनय है कि वादीगणो द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार निम्न आशय की घोषणा एंव स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी मय आदेश प्रसारित की जावे कि – वादीगणो को वादग्रस्त कृषि आराजी ग्राम जोरावरपुरा पटवार सर्कल जोरावरपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० के राजस्व रिकार्ड मे खतौनी संख्या 26 ख. न. 25 रकबा 1.68 है०, ख. न. 54 रकबा 3.29 है०, ख. न. 138 रकबा 2.14 है०, ख. न. 245 रकबा 0.96 है०, ख. न. 351 रकबा 1.25 है०, ख. न. 156/420 रकबा 0.07 है०, कुल किता 6 कुल रकबा 9.39 है० मे वादी कम 1 को

अपील संख्या 2024/115
टीना मीणा बनाम सत्यनारायण वगै0

हिस्सा 1/3 एंव वादी कम 2 को हिस्सा 1/3 का खातेदार कृषक घोषित किया जावे तदनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करने हेतु प्रतिवादी कम 2 राज्य शासन के प्रतिनिधिगण को जर्ये डिकी आदेशित किया जावे। राज्य शासन प्रतिवादी कम 2 को तदनुसार पालनार्थ आदेशित किया जावे। तथा अन्य न्यायोचित सहायता वादीगण को प्रदान की जावे।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08.08.2023 को वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 प्रत्येक को वादग्रस्त भूमि के 1/3, 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किए जाने की निर्णय व डिकी पारित की ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 08.08.2023 से व्यथित होकर अपीलान्टगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 08.08.2023 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिकी दिनांक 08.08.2023 को निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से अपील मियाद बाहर पेश की गई। अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील धारा 96 सी.पी.सी. प्रार्थना–पत्र के निर्णयाधीन सब्जेक्ट–टू–लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन. नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एवं डिकी दिनांक 08.08.2023 की अपील प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में डिलें हो चुका है। प्रार्थीया जब अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एवं डिकी पारित की गई तब प्रार्थीया को इसकी कोई जानकारी नही थी एवं प्रार्थीया ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होने से राजस्व रेकॉर्ड चैक नही कर पाई। बाद में जब प्रार्थीया को अपने रिश्तेदारो रेस्पोडेन्टगण के माध्यम से उक्त निर्णय एवं डिक्री की जानकारी होने पर उसके द्वारा अविलम्ब अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर अधीनस्थ न्यायालय से नकल प्राप्त की गई।

जिससे अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी की अपील प्रस्तुत किये जाने में विलम्ब हो चुका है जिसे डिले कंडोन किया न्यायहित मे आवश्यक है। प्रार्थीया के द्वारा उक्त निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर श्रीमान के समक्ष अपील प्रस्तुत है जिसमें हुई देरी को डिले कंडोन किया जाना सदभाविक दृष्टि से न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने मे हुए विलम्ब को डिले कंडोन किये जाने का आदेश फरमावे। अन्त में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार फरमाया जाकर विलम्ब को कण्डोन फरमाया जाकर अपील अवधि मध्य होने की आज्ञा फरमाई जावे।

7. विद्वान अधिवक्ता अपीलांटगण ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया उक्त कृषि आराजी में से अपने पिता की मृत्यु हो जाने के उपरान्त उनके स्थान पर उसी कृषि भूमि में 1/4 हिस्सा प्राप्त करने की कानूनी अधिकारिणी होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय व डिक्री पारित करते समय पक्षकार नही बनाया गया है। प्रश्नगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है तथा उनिर्णय एवं डिक्री पारित करते समय अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीया को आवश्यक पक्षकार होते हुए भी उक्त वाद में पक्षकार नही बनाया गया है। जो कि नैसर्गिक न्याय सिद्धान्तो के विरूद्ध तथ्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 08.08.2023 से अपीलांट प्रभावित पक्षकार है अतः उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया की अपील का निष्पक्ष न्यायिक निस्तारण किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अन्त में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत किए जाने की अनुमति प्रदान किए जाने का निवेदन किया।

8. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट के खाते व कब्जेकाश्त की पुश्तैनी कृषि आराजी खसरा नम्बर–25 रकबा 1.68 हैक्टर, खसरा नम्बर–54 रकबा 3.29 हैक्टर, खसरा नम्बर–138 रकबा 2.14 हैक्टर, खसरा नम्बर–245 रकबा 0.96 हैक्टर, खसरा नम्बर–351 रकबा 1.25 हैक्टर, खसरा नम्बर–156/420 रकबा 0.07 हैक्टर कुल किता 6 कुल रकबा 9.39 हैक्टर वाके ग्राम जोरावरपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज०) मे स्थित है। जिसमे अपीलांट के पिता की मृत्यु हो जाने के पश्चात अपीलांट का उक्त कृषि आराजी में 1/4 हिस्सा निहित है जिसके संबंध मे सहायक कलेक्टर इटावा के यहां वादीगण द्वारा अपीलांट को बिना पक्षकार बनाये ही वाद प्रस्तुत किया था। उक्त लिखित कृषि आराजी अपीलांट के पिता की पुश्तैनी एवं कब्जेकाश्त की कृषि आराजी होने एवं उक्त कृषि आराजी में अपीलांट के पिता का 1/4 हिस्सा निहित होने एवं पिता की मृत्यु के पश्चात पिता रामेश्वर की एकमात्र कानूनन वारिसान वारिस होने से उक्त कृषि आराजी मे अपीलांट का 1/4 हिस्सा निहित है। जिसमें अपीलांट, रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2

अपील संख्या 2024/115
टीना मीणा बनाम सत्यनारायण वगै0

की भाई की पुत्री एवं रेस्पोडेन्ट क्रम–3 की पोत्री है जिससे उसका भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत 1/4 हिस्सा प्राप्त करने का जन्म सिद्ध कानूनी अधिकार है। जिसमें अपीलांट के पिता रामेश्वर मीणा की पूर्व में दिनांक 03.08.1999 को मृत्यु हो चुकी है जिसके पश्चात से ही अपने पिता के 1/4 हिस्से की कृषि आराजी पर अपीलांट निरन्तर निर्विघ्न रूप से काबिज काश्त चली आ रही है। पूर्व में रेस्पोडेन्टगण द्वारा अपीलांट के पिता के हिस्से की 1/4 कृषि आराजी का प्रतिवर्ष अपीलांट की शादी के बाद पिछले वर्ष तक जुआरा काश्त की राशि अदा की जाती रही है, जिससे पूर्णतया साबित है कि अपीलांट अपने 1/4 हिस्से पर निर्विघ्न रूप से वर्तमान में भी काबिज काश्त चली आ रही है। उक्त जानकारी रेस्पोडेन्टगण को होते हुए भी आपसी मिलीभगत कर उक्त कृषि आराजी जिसमें अपीलांट का 1/4 हिस्सा निहित है, को अपने खाते दर्ज करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय मे वाद प्रस्तुत किया गया है। उक्त अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त फरमाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद रेस्पोडेन्टगण के आपसी मिलीभगत को स्पष्ट करता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो वाद में रेस्पोडेन्टगण/ प्रतिवादीगण सत्यनारायण की एवं सरकार की तलवी पत्रावली में जारी ही नही की गई और ना ही उनको कोई नोटिस भेजा गया तो भी रेस्पोडेन्ट क्रम–1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने जिस दिन वकालतनामा स्वयं ही प्रस्तुत कर उसी दिन सहमति जवाब दावा प्रस्तुत कर दिया गया एवं उसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद को निर्णीत किया जाकर डिक्री कर दिया गया जो कि पूर्णतया फर्जी, कूटरचित एवं मिलीभगत का नतीजा है। रेस्पोडेन्टगण द्वारा अपीलांट की 1/4 उक्त कृषि आराजी में हिस्से वाली कृषि को हडप किये जाने की गरज से अधीनस्थ न्यायालय मे उक्त आराजी को अपने खातेदारी में लगवाने के लिए वाद प्रस्तुत कर उसे आपस मे ही मिलीभगत कर निर्णय एवं डिक्री पारित करवा ली जिसे पूर्णतया निरस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उक्त लिखित कृषि आराजी अपीलांट के स्व. पिता रामेश्वर की पैतृक कृषि आराजी है जिसमें रेस्पोडेन्टगण के साथ 1/4 हिस्सा निहित है एवं वर्तमान में पिता की मृत्यु हो जाने के चलते उक्त कृषि आराजी मे अपने पिता की एकमात्र कानूनी वारिसान होने के चलते 1/4 हिस्सा कानूनी रूप से प्राप्त कर राजस्व रिकोर्ड में बतौर खातेदार घोषित किये जाने की अपीलांट कानूनी अधिकारिणी बन चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद में वादी व प्रतिवादीगण द्वारा आपसी मिलीभगत कर वाद प्रस्तुत किया गया है जिसमें अपीलांट को ना तो पक्षकार बनाया गया और ना ही किसी तरह का सूचना सुनवाई का निष्पक्ष अवसर दिया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा को पक्षकार बनाया गया था जिसके द्वारा भी अपनी ओर से जर्ये पटवारी रिपोर्ट अपीलांट को उक्त वाद में पक्षकार बनाये जाने हेतु आपत्ति उठाई जा सकती थी एवं उक्त वाद में आवश्यक पक्षकार बनाये जाने हेतु न्यायालय को समय पर सूचना दी जा सकती थी परन्तु तहसीलदार द्वारा भी उक्त सूचना को छिपाकर उक्त वाद मे निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय मे वाद हेतु अपीलांट आवश्यक पक्षकार होते हुए भी उसे पक्षकार बनाये बिना वाद

का न्यायिक निस्तारण किया गया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है जिससे उक्त अपील अपीलांट द्वारा अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी के माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत करने हेतु मजबूर होना पड रहा है। अपनी बहस के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 की फोटोप्रति प्रस्तुत की। अन्त में अपील अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.08.2023 निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

9. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलांट ने प्रश्नगत अपील में वादग्रस्त आराजी को संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित स्पत्ति होना बताया है जबकि अपीलांट अनुसूचित जनजाति की है तथा अनुसूचित जनजाति में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होकर ओल्ड हिन्दु लॉ लागू होता है। प्रश्नगत भूमि अपीलांट के दादा गोपाल के खातेदारी की भूमि है अतः अपीलांट अपने दादा के जीवनकाल में प्रश्नगत भूमि पर हक घोषणा करवाने की अधिकारिणी नहीं है। अपीलांट का प्रश्गनत भूमि में उसके दादा गोपाल के जीवनकाल में वादग्रस्त भूमि में कोई हक अधिकार निहित नहीं है। तथा अपीलांट का वादग्रस्त भूमि में कोई हक हिस्सा निहित नहीं है। अपीलांट का प्रश्नगत भूमि पर कोई कब्जा काश्त व हक अधिकार निहित नहीं है अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.08.2023 से अपीलांट के किसी प्रकार के हक अधिकार प्रभावित नहीं होते है। अतः अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.08.2023 से प्रभावित पक्षकार नहीं होने से अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार योग्य नहीं है। प्रश्नगत निर्णय दिनांक 08.08.2023 को पारित किया गया है तथा अपीलांटगण की ओर से न्यायालय हाजा में अपील दिनांक 18.06.2024 को पेश की गई है जो गंभीर विलम्ब से पेश की गई है। विलम्ब का कोई पर्याप्त कारण अपीलांटगण ने अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित नहीं किया है। अतः अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार योग्य नहीं होने से अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.08.2023 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.08.2023 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

10. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की बहस का समर्थन किया तथा अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.08.2023 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

11. हमने उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया।

प्रार्थीगण अपीलांटगण का कथन है कि प्रश्नगत भूमि अपीलांट के दादा गोपाल की खातेदारी में दर्ज है तथा प्रश्नगत भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित पैतृक सम्पत्ति है जिस पर अपीलांट का जन्म से हक अधिकार निहित है। चूंकि प्रार्थी अपीलांट ने प्रश्नगत भूमि प्रार्थीया अपीलांट के दादा गोपाल के खाते की भूमि होने तथा जन्म से हक अधिकार निहित होने का कथन किया है अतः हमारे मत में अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.08.2023 से प्रभावित पक्षकार होना प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थी अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण अपीलांटगण को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सर्वप्रथम प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित होगा। हमने प्रार्थीगण अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की मियाद के बिन्दु पर की गई बहस पर मनन किया। चूंकि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थी अतः अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.08.2023 की कोई जानकारी नहीं थी। अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत होते है अतः न्यायहित में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रार्थीया अपीलांट वादग्रस्त भूमि के खातेदार गोपाल के मृतक पुत्र रामेश्वर की पुत्री है। अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण ने अपने वादपत्र में प्रश्नगत भूमि को अविभाजित हिन्दु परिवार की अविभाजित सहदायिकी भूमि होने का कथन अंकित किया है। वादीगण रेस्पोडेन्टगण ने अपने वादपत्र में अंकित सजरे में गोपाल के पुत्र रामेश्वर के मृतक होने का अंकन किया है परन्तु रामेश्वर के वारिसान का अंकन वादपत्र में अंकित पारिवारिक सजरे में नहीं किया गया है। प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने भी अपने जवाबदावे में अपने मृतक पुत्र रामेश्वर के वारिसान के बारे में किसी प्रकार का कथन अंकित नहीं किया है। अतः हमारे मत में वादीगण ने तथ्यों को छुपाकर वादपत्र प्रस्तुत किया है तथा प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने स्वीकारोक्ति का जवाबदावा प्रस्तुत कर आपसी मिलिभगत से वादपत्र डिक्री करवाया जाना

प्रतीत होता है। वादीगण रेस्पोडेन्टगण ने स्वच्छ हस्तों से वादपत्र प्रस्तुत नहीं किया है। चूंकि प्रार्थीया अपीलांट वादीगण के भाई रामेश्वर की पुत्री है तथा रामेश्वर की मृत्यु हो चुकी है अतः अपीलांट का प्रश्नगत भूमि में हक अधिकार निहित है। ऐसी स्थिति में अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद में आवश्यक पक्षकार थी जिसे पक्षकार कायम किए जाने के उपरांत ही न्यायसंगत निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता था। परन्तु वादीगण रेस्पोडेन्टगण द्वारा अपीलांट को पक्षकार कायम किए बिना ही अधीनस्थ न्यायालय में वादपत्र प्रस्तुत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पक्षकार कायम किए बिना व बिना सुने ही प्राकृतिक न्याय से वंचित रखते हुए प्रश्नगत निर्णय व डिक्री दिनांक 08.08.2023 पारित की गई है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय हमारे मत में अपीलांट प्रश्नगत भूमि के खातेदार गोपाल के मृतक पुत्र रामेश्वर की वारिस व उत्तराधिकारी होने के कारण आवश्यक पक्षकार है जिसे सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना आवश्यक है।

12. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर इटावा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 21/2023 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.08.2023 निरस्त की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को प्रश्नगत वाद में प्रतिवादी के रूप मे पक्षकार कायम करें तथा साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर नवीन निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई हेतु दिनांक 11.11.2024 को स्वयं उपस्थित रहे।

13. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

14. निर्णय आज दिनांक 10.10.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा